

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० - तारीख दायर तारीख फैसला
05/2018/प्रार्थना पत्र 02.01.2018 19.01.2018
उनवान

नोजू पिता घीसा रेगर निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां

- प्रार्थी

बनाम

- 1- पूरण पिता बन्ना रेगर निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां
- 2- पप्पू पिता भोलू रेगर निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां
- 3- ब्रहमलाल पिता बालू रेगर निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट
उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 622 आ०न० 2347 रकबा 0.11 है, कुल कित्ता 01 रकबा 0.11 है० स्थित है। पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं० 1 व 3 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.01.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः दिनांक 19.01.2018 को विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की



गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया संवत् 2072 से 75 खाता संख्या 622 आ0न0 2347 रकबा 0.11 है, कुल किता 01 रकबा 0.11 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया तहसील फूलियाकलां में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 622 आ0न0 2347 रकबा 0.11 है, कुल किता 01 रकबा 0.11 है0 का प्रार्थी के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी में ऑफ सीजन में पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 100/- (अक्षरे एक सौ रुपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 19.01.2018 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।



(भंवरलाल कांसोटिया)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।



[Handwritten signature]

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा